

IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET

जमाबंदी सुधार अपील वाद संख्या-06/2014

मनोज यादव वगैरह

बनाम

सुरेन्द्र भगत वगैरह

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.02.2016	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद मनोज यादव पिता-स्व० किशुन यादव एवं अन्य साकिन-जमुई, थाना चौक थाना-जमुई जिला-जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह अपील वाद मनोज यादव एवं अन्य ने निम्न न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं०-04/14-15 मनोज यादव वगैरह बनाम सुरेन्द्र भगत वगैरह में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 के विरुद्ध लाया है।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-जमुई के खाता सं०-37 के विभिन्न खेसरो की कुल 2.15 एकड़ जमीन खतियान में अपीलार्थी के पूर्वज धुसवा ग्वाला के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी ने 2.15 एकड़ जमीन में से 1.96 एकड़ जमीन पर वाद लाया जिसमें न्यायालय से नोटिस निर्गत किये जाने के बाद विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुए और प्रत्युत्तर समर्पित किये जिसमें विपक्षी के द्वारा Execution Case No.-120/34 के तहत Sale Certificate के आधार पर खाता सं०-37 के खेसरा सं०-6,595,530 एवं 945 के 1.64 एकड़ जमीन पर दावा किया गया। विपक्षी का Sale Certificate जाली है जिसके आधार पर विपक्षी या उनके पूर्वजों का प्रश्नगत जमीन पर कभी कोई स्वत्व या दखल नहीं हुआ। खाता सं०-37 के सम्पूर्ण 2.15 एकड़ जमीन पर अपीलार्थी का दखल-कब्जा है। खेसरा सं०-595 के 31 डी० जमीन पर अपीलार्थी का कई खटाल अवस्थित था परन्तु हल्का कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में खटाल होने की बात प्रतिवेदित नहीं किया। निम्न न्यायालय द्वारा हल्का कर्मचारी के गलत प्रतिवेदन एवं जाली Sale Certificate के आधार पर वाद समाप्त कर दिया गया। खाता सं०-37 की जमीन अपीलार्थी की जमीन है और इस जमीन को लेकर भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा कोई Rent Suit दायर नहीं किया गया था और न Execution Case No.-120/34 में इस जमीन का Auction Sale हुआ था। अतः जमाबंदी सुधार वाद सं०-04/14-15 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 01.08.2014 गलत है, इसे निरस्त किया जाय।</p> <p>2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-जमुई</p>	

के खाता सं०-37 की जमीन खतियान में धुसवा गोप पे०-मंगर गोप के नाम से दर्ज है। मौजा-जमुई के खाता सं०-37 के खेसरा सं०-6 रकवा-83 डी०, खेसरा सं०-595 रकवा-32 डी०, खेसरा सं०-930 रकवा-25 डी० एवं खेसरा सं०-945 रकवा-24 डी० कुल रकवा-164 एकड़ जमीन हजारी भगत पिता-दुर्गा भगत ने Execution Case No.-120/1934 में नीलामी से खरीदा। हजारी भगत के नाम से Sale Certificate तैयार किया गया और Auction Land को हजारी भगत के पक्ष में न्यायालय द्वारा दखल में लिया गया। खरीदने के बाद भूतपूर्व जमीन्दार के सिरिस्ता में हजारी भगत के नाम से दाखिल खारिज हुआ और जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार के सिरिस्ता में हजारी भगत का नाम पंजी-11 में दर्ज किया गया। अंचल अधिकारी द्वारा L.P.C. एवं Rent Receipt विपक्षी के पक्ष में निर्गत किया गया है जो विपक्षी के प्रश्नगत जमीन पर दखल-कब्जा को दर्शाता है। विपक्षी ने खाता सं०-37 खेसरा सं०-6 की 83 डी० जमीन विभिन्न व्यक्तियों को बेचा। बेचने के बाद खरीदार के नाम से दाखिल खारिज हुआ और खरीदार का खरीदगी जमीन पर दखल-कब्जा चला आ रहा है, परन्तु खरीदारों को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया, Nonjoinder of the parties के कारण भी यह वाद खारिज करने योग्य है। उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के द्वारा सभी तथ्यों का गहन परिशीलन कर आदेश पारित किया गया है। उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज किया जाय।

3. अपने बहस में उभय पक्ष ने अपने लिखित आवेदन/जवाब में कही गई बातों को दोहराया।

4. अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन में अपील का आधार मात्र यही रखा है कि विपक्षी का Sale Certificate जाली है जिससे कोई अधिकार व स्वत्व नहीं स्थापित होता है। उनका यह कहना है कि वाद की प्रश्नगत भूमि का कोई भी जिक्र कर्मचारी व अंचल अधिकारी की रिपोर्ट में नहीं है फिर भी निम्न न्यायालय ने उस पर विचार किया है। उनका यह भी कहना है कि खाता 37 की जमीन अपीलार्थियों की जमीन है और इसकी कभी भी नीलामी नहीं हुई है।

अपीलार्थी का पूरा दावा मात्र इस आधार पर है कि वे खतियानी रैयत के वंशज हैं। उनके निम्न न्यायालय में आवेदन में मात्र इतना अंकित है कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से ही 2012-13 में ज०सं० 26 में खाता सं० 37 भी चढ़ा दिया गया है। किन्तु निम्न न्यायालय या इस न्यायालय में भी उन्होंने इस संबंध में कोई कागजी साक्ष्य आदि नहीं दिया है जबकि विपक्षी ने अपने नाम निर्गत लगान रसीद, L.P.C आदि की छायाप्रति दाखिल की गई है। जमाबंदी सं०-26 के बारे में भी यह स्थापित है कि जमाबंदी वर्ष 1965-66 में कायम हुई थी। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पत्रांक 224 दिनांक 07.03.2014 से भी स्पष्ट है कि जमाबंदी सं०-26 पूर्व से कायम है व इसमें से जमाबंदी रैयत द्वारा

जमीन बिक्री भी किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में जब वाद का विषय वस्तु वर्ष 1965-66 से कायम जमाबंदी है व अपीलार्थी ने अपने कथन के समर्थन में कोई भी प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, राजस्व न्यायालय का हस्तक्षेप इस जमाबंदी में विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत। अगर वे चाहें तो प्रश्नगत भूमि पर अपना स्वत्व घोषित कराने के लिए व्यवहार न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

Kamla
9/1/16
समाहर्ता,
जमुई।

Kamla
9/1/16
समाहर्ता,
जमुई।